

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र

Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-24082023-248298
SG-DL-E-24082023-248298असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 259]	दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 24, 2023/भाद्र 2, 1945	[रा.रा.क्षे.दि. सं. 195
No. 259]	DELHI, THURSDAY, AUGUST 24, 2023/BHADRA 2, 1945	[N. C. T. D. No. 195

भाग IV PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHIसामान्य प्रशासन विभाग
अधिसूचना

दिल्ली, 24 अगस्त, 2023


फा सं. 53/634/सा.प्र.वि./समन्व./2023/dsgadiii/1802.—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में आयोजित होने वाले जी-20 शिखर सम्मेलन के दृष्टिगत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में निम्नानुसार सार्वजनिक अवकाश घोषित करने का निर्णय लिया गया है: -

क्र.सं.	संगठन, संस्थान आदि	सार्वजनिक अवकाश या बंद की तिथियाँ और अन्य विवरण
1	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के सभी सरकारी विभाग, कार्यालय, संगठन, उपक्रम, निगम, बोर्ड, वैधानिक निकाय, शैक्षणिक संस्थान आदि।	क) ऐसे कार्यालय जिनमें शनिवार और रविवार को सार्वजनिक अवकाश घोषित है, 8 सितंबर, 2023 (शुक्रवार) को सार्वजनिक अवकाश होगा। 09 और 10 सितंबर, 2023 शनिवार और रविवार होने के कारण सार्वजनिक अवकाश हैं। और

		ख) ऐसे कार्यालय जिनमें केवल रविवार सार्वजनिक अवकाश घोषित है, 8 और 9 सितंबर 2023 (शुक्रवार और शनिवार) को सार्वजनिक अवकाश होगा। 10 सितंबर, 2023 रविवार होने के कारण सार्वजनिक अवकाश है।
2	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सीमा में स्थित सभी निजी कार्यालय, शैक्षणिक या अन्य संस्थान (चाहे वे किसी भी नाम से हों)	क) ऐसे कार्यालय जिनमें शनिवार और रविवार को सार्वजनिक अवकाश घोषित है, 8 सितंबर, 2023 (शुक्रवार) को सार्वजनिक अवकाश होगा। 09 और 10 सितंबर, 2023 शनिवार और रविवार होने के कारण सार्वजनिक अवकाश हैं। ख) ऐसे कार्यालय जिनमें केवल रविवार सार्वजनिक अवकाश घोषित है, 8 और 9 सितंबर 2023 (शुक्रवार और शनिवार) को सार्वजनिक अवकाश होगा। 10 सितंबर, 2023 रविवार होने के कारण सार्वजनिक अवकाश है। और ग) ऐसे निजी कार्यालय, शैक्षणिक या अन्य संस्थान जिनमें रविवार को सार्वजनिक अवकाश घोषित नहीं है, 10 सितंबर, 2023 को सार्वजनिक अवकाश होगा।
3	नई दिल्ली पुलिस जिले के अधिकार क्षेत्र में स्थित सभी वाणिज्यिक बैंक और वित्तीय संस्थान, जो परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 (1881 का 26) की धारा 25 के दायरे में आते हैं।	क) ऐसे कार्यालय जिनमें शनिवार और रविवार को सार्वजनिक अवकाश घोषित है, 8 सितंबर, 2023 (शुक्रवार) को सार्वजनिक अवकाश होगा। 09 और 10 सितंबर, 2023 शनिवार और रविवार होने के कारण सार्वजनिक अवकाश हैं। ख) ऐसे कार्यालय जिनमें केवल रविवार सार्वजनिक अवकाश घोषित है, 8 और 9 सितंबर 2023 (शुक्रवार और शनिवार) को सार्वजनिक अवकाश होगा। 10 सितंबर, 2023 रविवार होने के कारण सार्वजनिक अवकाश है। और ग) ऐसे वाणिज्यिक बैंक और वित्तीय संस्थान जिनमें रविवार को सार्वजनिक अवकाश नहीं है 10 सितंबर, 2023 को सार्वजनिक अवकाश होगा।
4	नई दिल्ली पुलिस जिले के अधिकार क्षेत्र में स्थित सभी दुकानें, वाणिज्यिक और व्यावसायिक प्रतिष्ठान।	दिल्ली दुकान एवं संस्थापन अधिनियम, 1954 की धारा 16 (3) (i) के अनुसार, नई दिल्ली पुलिस जिले के अधिकार क्षेत्र में स्थित सभी दुकानें, वाणिज्यिक और व्यावसायिक प्रतिष्ठान (संलग्न मानचित्र के अनुसार) 08 सितंबर से 10 सितंबर, 2023 तक बंद रहेंगी।

2. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के सभी विभाग/संगठन उपरोक्त को सभी संबंधितों के संज्ञान में लाएँ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश व उनके नाम पर,
प्रदीप तायल, उप सचिव



GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT**NOTIFICATION**

Delhi, the 24th August, 2023

F. No. 53/634/CN/GAD/2023/dsgadiiii/1802.—In view of the G-20 Summit scheduled to be held in NCT of Delhi, it has been decided to declare Public Holiday in the National Capital Territory of Delhi, as per details given as under: -

SNo.	Organizations	Dates and other details of Public Holiday or closures
1	All Government Departments, Offices, Organizations, Undertakings, Corporations, Boards, Statutory Bodies, Educational Institutions, etc. of the Government of National Capital Territory of Delhi.	(a) Public Holiday on 8 th September, 2023 (Friday) in such offices wherein Saturday and Sunday are Public Holidays; followed by Public Holidays on 09 th and 10 th September, 2023 being Saturday and Sunday. and (b) Public Holidays on 8 th and 9 th September 2023 (Friday and Saturday) in such offices wherein Sunday is a Public Holiday; followed by Public Holiday on 10 th September, 2023 being Sunday.
2	All Private Offices, Educational or other Institutions (by whatsoever name) within National Capital Territory of Delhi.	(a) Public Holiday on 8 th September, 2023 (Friday) in such offices wherein Saturday and Sunday are Public Holidays; followed by Public Holidays on 09 th and 10 th September, 2023 being Saturday and Sunday. (b) Public Holidays on 8 th and 9 th September 2023 (Friday and Saturday) in such offices wherein Sunday is a Public Holiday; followed by Public Holiday on 10 th September, 2023 being Sunday. and (c) Public Holiday on 10 th September, 2023 in those private offices, educational or other institutions wherein Sunday is not a Public Holiday.
3	All commercial banks and financial institutions situated within the jurisdiction of New Delhi Police District, which come under the purview of the Section 25 of the Negotiable Instruments Act 1881 (26 of 1881).	(a) Public Holiday on 8 th September, 2023 (Friday) in such offices wherein Saturday and Sunday are Public Holidays; followed by Public Holidays on 09 th and 10 th September, 2023 being Saturday and Sunday. (b) Public Holidays on 8 th and 9 th September 2023 (Friday and Saturday) in such offices wherein Sunday is a Public Holiday; followed by Public Holiday on 10 th September, 2023 being Sunday. and (c) Public Holiday on 10 th September, 2023 in those commercial banks and financial institutions wherein Sunday is not a Public Holiday.
4	All shops, commercial and business establishments situated within the jurisdiction of New Delhi Police District.	As per Section 16 (3) (i) of The Delhi Shops and Establishments Act, 1954 all shops, commercial and business establishments situated within the jurisdiction of New Delhi Police District (as per attached map) shall remain closed from 08 th to 10 th September, 2023.

2. All Departments/Organizations of Government of NCT of Delhi may bring the above to the notice of all concerned.

By Order and in the Name of the Lieutenant Governor
of the National Capital Territory of Delhi,

PRADEEP TAYAL, Dy. Secy.

